



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122021-231952
CG-DL-E-17122021-231952

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4869]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2021/अग्रहायण 26, 1943

No. 4869]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2021/AGRAHAYANA 26, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5250(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ओडीशा राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जे एच बि डि पि एल) और स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर

दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, ओड़ीशा, गेल (इंडिया) लिमिटेड, 612, उत्कल सिग्रेचर, पाहाल, एन एच-16, भुवनेश्वर-751032 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन और स्पर पाइपलाइन प्रोजेक्ट						
भुवनेश्वर स्पर पाइपलाइन (सेक्सन – 2A)						
अनुसूची						
राज्य - ओड़िशा						
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल		
				हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5		
खोरधा	बालिअंता	जितिकारसुआँलो	388	00	09	00

[फा. सं. एल-14014/182/2021-जीपी-II (ई-40731)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2021

S.O. 5250(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline, in the State of Odisha, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Odisha, GAIL (India) Limited, 612 Utkal Signature, Pahal, NH - 16, Bhubaneswar – 751032.

JAGDISHPUR-HALDIA-BOKARO-DHAMRA GAS PIPELINE PROJECT						
BHUBANESWAR SPUR PIPELINE (SECTION - 2A)						
SCHEDULE						
STATE : ODISHA						
DISTRICT	TEHSIL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA		
				HECT	ARE	SQ. METER
1	2	3	4	5		
KHORDA	BALIANATA	JITIKARSUANLO	388	00	09	00

[F. No. L-14014/182/2021-GP-II (E- 40731)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.